न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–56/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामेश्वर दयाल पुत्र श्री रामकिशोर ब्राहमण,
2. निरंजन कुमार पुत्र श्री रामकिशोर ब्राहमण निवासीयान ग्राम शाहपुर, तहसील व जिला अलवर।

.....वादीगण/ अपीलांट

बनाम

1. पप्पू खॉ पुत्र श्री ज्ञानसिंह, जाति मेव,
2. जाकिर खॉ पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव,
3. हाकमदीन पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव,
4. रत्ती खॉ पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव,
5. रत्ती मौहम्मद पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव निवासीयान ग्राम दिलावरपुर तहसील व जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री चन्द्रभान शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.01.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 844 रकबा 0.44 ऐयर, 845 रकबा 0.19 ऐयर वाके ग्राम दिलावरपुर का वादी गैर खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी अपीलांट वादी को आवंटन हुई है व काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी वादी अपीलांट ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये सनद पट्टा की कार्यवाही सक्षम विभाग में की हुई है।प्रतिवादीगण रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। प्रतिवादीगण

जबरदस्ती विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः वादी अपीलांट को जबरन विवादित आराजी से बेदखल नही करने बाबत पाबंद फरमाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी न्याय आपके द्वारा शाहपुर कैम्प में दिनांक 02.06.2017 को खारिज फरमा दिया। जिस निर्णय दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया।अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजी हम वादीगण अपीलांटस की अलॉटशुदा कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी है। जिस पर हम अपीलांटस का कब्जा गत काफी समय से बतौर अलोटी/गैरखातेदार के चला आ रहा है एवं समस्त कागजात माल जमाबंदी जो कि रिकार्ड आफ राईट की तारीफ में आता है, में भी हम अपीलांट का नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज होना साबित पाया जाता है।अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2013 के तहत विवादित आराजी पर हम अपीलांटस का कब्जा मानते हुये व प्रथम दृष्टया केस हमारे हक में साबित मानते हुये हर दो पक्षकारान को सुनकर ताफैसला वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी।उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बाद प्रतिवादीगण ने स्पष्ट तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना करते हुये वाद के विचारण के दौरान खसरा नंबर 844 रकबा 0.34 है0 के दक्षिण पश्चिम कौने पर पाल से लगते हुये करीब 30 बाई 40 फुट पर बेजा अतिक्रमण करते हुये दो कमरों का निर्माण करा लिया व बाउण्ड्री बाल भी बना ली। जिसकी बाबत उनके खिलाफ अलग से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 क जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।इस प्रकार यदि दौराने दावा कोई निर्माण कार्य प्रतिवादीगण ने कर भी लिया तो उससे प्रतिवादीगण को कोई अधिकार पैदा नही हो सकते। मौजूदा वाद में जो काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण ने पेश किया था उसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने यह दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर किस हैसियत से मकान बाडा आदि बना रखे हैं। इस बाबत कोई जबाव दावा के साथ कोई दस्तावेज पेश नही किये और ना ही कैम्प के दौरान मांगने पर भी प्रस्तुत किये। इस प्रकार स्वयं अधीनस्थ न्यायालय की इस फाईंडिंग के अनुसार प्रतिवादीगण का कोई कब्जा मौके पर होना साबित नही पाया जाता है और कानूनन अतिक्रमी को किसी प्रकार से प्रोटेक्ट नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय राजस्व कैम्प के दौरान सादिर फरमाया है जो गलत है। कानूनन राजस्व कैम्प मे केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी समझौते अथवा राजीनामा से हो सकते हो। अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर भी नही दिया गया। राजस्व कैम्प में मैरिट पर किसी प्रकरण का निस्तारण नही किया जा सकता। मौजूदा वाद में प्रतिवादीगण नियमित न्यायालय में हाजिर हो चुके थे और अपने जबाव दावे के साथ साथ अपना काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक बिंदु भी कायम किये जा चुके थे और वादीगण अपीलांट ने साक्ष्य में

अपने स्वयं के व अपने गवाहान के शपथ पत्र भी बतौर बयान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में ना तो किसी दस्तावेज को डिस्कस किया और ना बयानात को डिस्कस किया और ना ही अपना निर्णय तनकी वाईज सादिर फरमाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद महज इस आधार पर खारिज फरमाया है कि मौका पर्चा दिनांक 02.06.2017 के आधार पर मौके पर विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है व गैर खातेदारान का मौके पर कब्जा नही पाया गया, जो गलत है।कथित मौका पर्चा वादीगण अपीलांटस के खिलाफ इकतरफा में मिल्लत से तैयार किया गया है और उक्त मौका पर्चा तैयार करने से पूर्व ना तो आस पास लोगों से कब्जे के बारे में कोई जानकारी की और ना ही किसी अन्य प्रकार से मौके पर कब्जा प्रतिवादीगण का होना पाया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाते हुये वादीगण का वाद मय खर्चा हर दो अदालत डिक्री फरमाया जाने व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि उक्त आराजी पर हम प्रतिवादीगण रेस्पो0 काबिज काश्तकार हैं तथा उक्त आराजी में हम रेस्पो0 के मकानात बने हुये हैं तथा उक्त भूमि बाडे के रूप में काम आ रही है। वादी अपीलांट द्वारा अपने दावे में यह भी अंकित नही किया कि उक्त खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर कौन से थे।रेस्पो0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही रेस्पो0 के बुजुर्ग भोण्डा पुत्र सल्ला के मार्फत काबिज काश्तकार हैं। उसी समय से उक्त आराजी पर कच्चे मकान बने हुये थे जिनको सन 2000 में पक्का किया गया है। अपीलांट गलत राजस्व इन्द्राज के आधार पर सनद पट्टा प्राप्त करने की जुस्तजू में है। उक्त आराजी पर अपीलांट का दूर दूर तक कोई संबंध सरोकार नही है जिस कारण उनका कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही नही उठता है। आज भी मौके पर रेस्पो0 का कब्जा है एवं रिहायश जारी है।यदि अपीलांट को राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज हुआ है तो वह रेस्पो0 के विरूद्ध बातिल व बेअसर है जो कलमजन किये जाने योग्य है। अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार हासिल नही है। अपीलांट द्वारा दावे के साथ जानबूझकर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया कि वक्त दावा दायरी मौका स्थिति क्या है अन्यथा वाद चलने योग्य नही था। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नही थे उनका वाद अंतर्गत धारा 188 चलने योग्य ही नही था। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये गये।

आर.आर.डी 2016 पेज 135, आर.आर.डी 2017 पेज 770.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2017 का अवलोकन किया।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नही होते हैं क्यों कि कब्जाधारी का विधिक रूप से खातेदार होना आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रकरण राजस्व लोक अदालत में पारित आदेश दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध है। राजस्व कैम्प मे केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी समझौते अथवा राजीनामा से हो सकते हो। अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर भी नही

दिया गया। विवाद्यक की रचना किये बिना, साक्ष्य लिये बिना उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा, प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है जबकि प्रकरण से संबंधित बिंदु साक्ष्य से ही साबित होंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर उसको ही निर्णय का आधार बनाना एक विधिक त्रुटि है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त की जाती है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये, विवाद्यक की रचना कर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार अपना निर्णय करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.01.2020

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर